संख्या-11/62/30-3-14-25बी/2013

प्रेषक,

संतोष कुमार रावत,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 20 जनवरी, 2014**

विषय - परिवहन आयुक्त् कार्यालय में लीज्ड लाइन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था, बीएसएनएल को अग्रिम भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में अयोजनेत्तर पक्ष में 13-टेलीफोन पर व्यय की मद में पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से रू0 3,81,386.00 के अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2460ए/2013-169ए/2013, दिनॉक 29-11-2013 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में लीज्ड लाइन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था, बी0एस0एन0एल0 द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन में रू0 3,81,386.00 का आगणन प्रस्तुत करते हुए उक्त धनराशि को अग्रिम भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि लीज्ड लाइन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना पर आने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2013-14 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष-3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत 13-टेलीफोन पर व्यय की मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उक्त लेखाशीर्ष-3055 के अन्तर्गत मद संख्या-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में सम्भावित बचत के दृष्टिगत उक्त मद से रू0 4.00 लाख का पुनर्विनियोग मद संख्या-13-टेलीफोन पर व्यय में आदेश संख्या-3729/30-3-2013-26बी/2013, दिनॉक 03-01-2014 द्वारा कराया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में लीज्ड लाइन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था, भारत संचार निगम लिमिटेड, लखनऊ को उनकी शर्त के अनुसार अग्रिम भुगतान करने हेतु धनराशि रू0 3,81,386.00 (रू0 तीन लाख इक्यासी हजार तीन सौ छियासी मात्र) का अग्रिम आहरण कर व्यय किए जाने की वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनॉक 25-10-1983 तथा शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-15-1(1)/69, दिनॉक 10-06-2011 में निहित शर्तें एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055-सडक परिवहन (आयोजनेत्तर)-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-13-टेलीफोन पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- समस्त स्वीकृत अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि का यथाशीघ्र समायोजन करके शासन को अवगत कराया जाए।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-एफए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनॉक 10 जून, 2011 द्वारा प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(संतोष कुमार रावत)

अनु सचिव।

संख्या-11/62(1)/तीस-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

8- नियोजन अनुभाग-4

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(संतोष कुमार रावत)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in